



प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 13 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2025-26 में जनपद कन्नौज के 06 बाड़ी आधुनिक चौरघर, जनपद बस्ती के 06 बाड़ी आधुनिक चौरघर, जनपद अमरोहा के 06 बाड़ी आधुनिक चौरघर, जनपद सुल्तानपुर के 06 बाड़ी आधुनिक चौरघर, जनपद बलिया के 08 बाड़ी आधुनिक चौरघर, जनपद बुलन्दशहर के 08 बाड़ी आधुनिक चौरघर एवं जनपद अयोध्या के 08 बाड़ी आधुनिक चौरघर के समुचित संचालन के क्रम में उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-11फ/प्रस्ताव/चौरघर (उपकरण)/2025-26/24067, दिनांक 06.11.2025 एवं पत्र संख्या-11फ/प्रस्ताव/चौरघर (उपकरण)/2025-26/26119, दिनांक 09.12.2025 के अनुसंधान में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2025-26 में जनपद कन्नौज के 06 बाड़ी आधुनिक चौरघर, जनपद बस्ती के 06 बाड़ी आधुनिक चौरघर, जनपद अमरोहा के 06 बाड़ी आधुनिक चौरघर, जनपद सुल्तानपुर के 06 बाड़ी आधुनिक चौरघर, जनपद बलिया के 08 बाड़ी आधुनिक चौरघर, जनपद बुलन्दशहर के 08 बाड़ी आधुनिक चौरघर एवं जनपद अयोध्या के 08 बाड़ी आधुनिक चौरघर के समुचित संचालन के क्रम में उपकरणों के क्रय हेतु निम्नलिखित तालिकानुसार कुल धनराशि रुपये 2,75,25,677/- (दो करोड़ पचहत्तर लाख पच्चीस हजार छः सौ सतहत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

जनपद कन्नौज के 06 बाड़ी आधुनिक चौरघर

क्र0सं0	उपकरण का नाम	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य (रुपये में) जेम पोर्टल के अनुसार (ए)	जी0एस0टी0 दर प्रतिशत में (बी)	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य जी0एस0टी0 सहित (ए+बी)	अपेक्षित उपकरणों की संख्या (सी)	कुल धनराशि जी0एस0टी0 सहित (रुपये में) (ए+बी)Xसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	A.C. 1.5 ton Split with stabilizer	60000	18	70800	3	212400
2	A.C. of Mortuary (4 ton)	150000	18	177000	1	177000
3	Generator 10 kva for morgue	178000	12	199360	1	199360
4	CCTV Camera 2 megapixel, 1TB DVRa 21 Days backup	80000	18	94400	1	94400
5	Ordinary Video Camera	30000	18	35400	1	35400
6	Autopsy Table of SS with water dranger facility	150000	18	177000	2	354000
7	Examer tray. Bucket etc. Instrument trolley & dissecting set consisting of Knives, Scissors, Forceps, Allis of different Sizes, Autopay Saw, Brain Knife etc. Chiseel, Hammer, Scalpel, Needle, Threds & Needle Holder Gloves, Masks, Apron & Slippers	40000	18	47200	3	141600
8	Steel Almirah	15000	18	17700	3	53100
9	office table 6X 4	15000	18	17700	2	35400
10	Printer	30000	18	35400	1	35400
11	Automation/Lamination/Xerox	150000	18	177000	1	177000
12	Officer Revolving Chair	12000	18	14160	2	28320
13	Dead body Deep Freezer Single body	168000	18	198240	4	792960
14	Light used during postmortem (ceiling mount)	165000	18	194700	2	389400
15	Stretcher to transfer the dead body to the mortuary vehicle	44840	18	52911.2	2	105822.4
16	Suturing set with different type of needles with thread to stich a dead body	44840	18	52911.2	2	105822.4
17	Electric bone saw machine	169000	18	199420	5	997100
G. TOTAL						39,34,485/-
रुपये उन्तालीस लाख चैंतीस हजार चार सौ चैरासी रुपये अस्सी पैसे मात्र						

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जनपद बस्ती के 06 बाड़ी आधुनिक चीरघर

क्र0सं0	उपकरण का नाम	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य (रूपये में) जेम पोर्टल के अनुसार (ए)	जी0एस0टी0 दर प्रतिशत में (बी)	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य जी0एस0टी0 सहित (ए+बी)	अपेक्षित उपकरणों की संख्या (सी)	कुल धनराशि जी0एस0टी0 सहित (रूपये में) (ए+बी)Xसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	A.C. 1.5 ton Split with stabilizer	60000	18	70800	3	212400
2	A.C. of Mortuary (4.5 ton)	150000	18	177000	1	177000
3	Generator (10 kva) for morgue	178000	12	199360	1	199360
4	CCTV Camera (2 megapixel, 1TB DVRa 21 Days backup)	80000	18	94400	1	94400
5	Ordinary Video Camera	30000	18	35400	1	35400
6	Autopsy Table of SS with water dranger facility	150000	18	177000	2	354000
7	Enamel tray. Bucket etc. Instrument trolley & dissecting set consisting of Knives, Scissors, forceps, Allis of different Sizes, Autopay Saw, Brain Knife etc. Chiseel, Hammer, Scalpel, Needle, Threds & Needle Holder Gloves, Masks, Apron & Slippers	40000	18	47200	3	141600
8	Steel Almirah	15000	18	17700	3	53100
9	office table 6X 4	15000	18	17700	2	35400
10	Printer	30000	18	35400	1	35400
11	Automation/Lamination/Xerox	150000	18	177000	1	177000
12	Officer Revolving Chair	12000	18	14160	2	28320
13	Dead body Deep Freezer Single body	168000	18	198240	4	792960
14	Light used during postmortem (celling mount)	165000	18	194700	2	389400
15	Stretcher to transfer the dead body to the mortuary vehicle	44840	18	52911.2	2	105822.4
16	Suturing set with different type of needles with thread to stich a dead body	44840	18	52911.2	2	105822.4
17	Electric bone saw machine	169000	18	199420	5	997100
G. TOTAL						39,34,485/-
रूपये उन्तालीस लाख चैंतीस हजार चार सौ चैरासी रूपये अस्सी पैसे मात्र						

जनपद अमरोहा के 06 बाड़ी आधुनिक चीरघर

क्र0सं0	उपकरण का नाम	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य (रूपये में) जेम पोर्टल के अनुसार (ए)	जी0एस0टी0 दर प्रतिशत में (बी)	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य जी0एस0टी0 सहित (ए+बी)	अपेक्षित उपकरणों की संख्या (सी)	कुल धनराशि जी0एस0टी0 सहित (रूपये में) (ए+बी)Xसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	A.C. 1.5 ton Split with stabilizer	60000	18	70800	3	212400
2	A.C. of Mortuary (4.5 ton)	150000	18	177000	1	177000
3	Generator (10 kva) for morgue	178000	12	199360	1	199360
4	CCTV Camera (2 megapixel, 1TB DVRa 21 Days backup)	80000	18	94400	1	94400
5	Ordinary Video Camera	30000	18	35400	1	35400
6	Autopsy Table of SS with water dranger facility	150000	18	177000	2	354000
7	Enamel tray. Bucket etc. Instrument trolley & dissecting set consisting of Knives, Scissors, forceps, Allis of different Sizes, Autopay Saw, Brain Knife etc. Chiseel, Hammer, Scalpel, Needle, Threds & Needle Holder Gloves, Masks, Apron & Slippers	40000	18	47200	3	141600
8	Steel Almirah	15000	18	17700	3	53100
9	office table 6X 4	15000	18	17700	2	35400
10	Printer	30000	18	35400	1	35400
11	Automation/Lamination/Xerox	150000	18	177000	1	177000
12	Officer Revolving Chair	12000	18	14160	2	28320
13	Dead body Deep Freezer Single body	168000	18	198240	4	792960
14	Light used during postmortem (celling mount)	165000	18	194700	2	389400
15	Stretcher to transfer the dead body to the mortuary vehicle	44840	18	52911.2	2	105822.4
16	Suturing set with different type of needles with thread to stich a dead body	44840	18	52911.2	2	105822.4
17	Electric bone saw machine	169000	18	199420	5	997100
G. TOTAL						39,34,485/-
रूपये उन्तालीस लाख चैंतीस हजार चार सौ चैरासी रूपये अस्सी पैसे मात्र						

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जनपद सुल्तानपुर के 06 बाड़ी आधुनिक चीरघर

क्र0सं0	उपकरण का नाम	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य (रुपये में) जेम पोर्टल के अनुसार (ए)	जी0एस0टी0 दर प्रतिशत में (बी)	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य जी0एस0टी0 सहित (ए+बी)	अपेक्षित उपकरणों की संख्या (सी)	कुल धनराशि जी0एस0टी0 सहित (रुपये में) (ए+बी)Xसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	A.C. 1.5 ton Split with stabilizer	60000	18	70800	3	212400
2	A.C. of Mortuary (4.5 ton)	150000	18	177000	1	177000
3	Generator (10 kva) for morgue	178000	12	199360	1	199360
4	CCTV Camera (2 megapixel, 1TB DVRa 21 Days backup)	80000	18	94400	1	94400
5	Ordinary Video Camera	30000	18	35400	1	35400
6	Autopsy Table of SS with water dranger facility	150000	18	177000	4	708000
7	Enamel tray. Bucket etc. Instrument trolley & dissecting set consisting of Knives, Scissors, forceps, Allis of different Sizes, Autopay Saw, Brain Knife etc. Chiseel, Hammer, Scalpel, Needle, Threds & Needle Holder Gloves, Masks, Apron & Slippers	40000	18	47200	5	236000
8	Steel Almirah	15000	18	17700	3	53100
9	office table 6X 4	15000	18	17700	2	35400
10	Printer	30000	18	35400	1	35400
11	Automation/Lamination/Xerox	150000	18	177000	1	177000
12	Officer Revolving Chair	12000	18	14160	4	56640
13	Light used during postmortem (celling mount)	165000	18	194700	3	584100
14	Stretcher to transfer the dead body to the mortuary vehicle	44840	18	52911.2	4	211644.8
15	Suturing set with different type of needles with thread to stich a dead body	44840	18	52911.2	2	105822.4
16	Electric bone saw machine	169000	18	199420	5	997100
G. TOTAL						3918767.20/-
रुपये उन्तालीस लाख अट्ठारह हजार सात सौ चौरासी रुपये एवं बीस पैसे मात्र						

जनपद बलिया के 08 बाड़ी आधुनिक चीरघर

क्र0सं0	उपकरण का नाम	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य (रुपये में) जेम पोर्टल के अनुसार (ए)	जी0एस0टी0 दर प्रतिशत में (बी)	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य जी0एस0टी0 सहित (ए+बी)	अपेक्षित उपकरणों की संख्या (सी)	कुल धनराशि जी0एस0टी0 सहित (रुपये में) (ए+बी)Xसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	A.C. 1.5 ton Split with stabilizer	60000	18	70800	3	212400
2	A.C. of Mortuary (4.5 ton)	150000	18	177000	1	177000
3	Generator (10 kva) for morgue	178000	12	199360	1	199360
4	CCTV Camera (2 Megapixel, 1TB DVRa 21 Days backup)	80000	18	94400	1	94400
5	Ordinary Video Camera	30000	18	35400	1	35400
6	Autopsy Table of SS with water dranger facility	150000	18	177000	2	354000
7	Enamel tray. Bucket etc. Instrument trolley & dissecting set consisting of Knives, Scissors, forceps, Allis of different Sizes, Autopay Saw, Brain Knife etc. Chiseel, Hammer, Scalpel, Needle, Threds & Needle Holder Gloves, Masks, Apron & Slippers	40000	18	47200	3	141600
8	Steel Almirah	15000	18	17700	3	53100
9	office table 6X 4	15000	18	17700	2	35400
10	Printer	30000	18	35400	1	35400
11	Automation/Lamination/Xerox	150000	18	177000	1	177000
12	Officer Revolving Chair	12000	18	14160	2	28320
13	Dead body Deep Freezer Single body	168000	18	198240	4	792960
14	Light used during postmortem (celling mount)	165000	18	194700	2	389400
15	Stretcher to transfer the dead body to the mortuary vehicle	44840	18	52911.2	2	105822.4
16	Suturing set with different type of needles with thread to stich a dead body	44840	18	52911.2	2	105822.4
17	Electric bone saw machine	169000	18	199420	5	997100
G. TOTAL						39,34,485/-
रुपये उन्तालीस लाख चैंतीस हजार चार सौ चैरासी रुपये अस्सी पैसे मात्र						

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जनपद बुलन्दशहर के 08 बाड़ी आधुनिक चीरघर

क्र0सं0	उपकरण का नाम	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य (रुपये में) जेम पोर्टल के अनुसार (ए)	जी0एस0टी0 दर प्रतिशत में (बी)	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य जी0एस0टी0 सहित (ए+बी)	अपेक्षित उपकरणों की संख्या (सी)	कुल धनराशि जी0एस0टी0 सहित (रुपये में) (ए+बी)Xसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	A.C. 1.5 ton Split with stabilizer	60000	18	70800	3	212400
2	A.C. of Mortuary (4.5 ton)	150000	18	177000	1	177000
3	Generator (10 kva) for morgue	178000	12	199360	1	199360
4	CCTV Camera (2 megapixel, 1TB DVRa 21 Days backup)	80000	18	94400	1	94400
5	Ordinary Video Camera	30000	18	35400	1	35400
6	Autopsy Table of SS with water dranger facility	150000	18	177000	2	354000
7	Enamel tray. Bucket etc. Instrument trolley & dissecting set consisting of Knives, Scissors, forceps, Allis of different Sizes, Autopay Saw, Brain Knife etc. Chiseel, Hammer, Scalpel, Needle, Threds & Needle Holder Gloves, Masks, Apron & Slippers	40000	18	47200	3	141600
8	Steel Almirah	15000	18	17700	3	53100
9	office table 6X 4	15000	18	17700	2	35400
10	Printer	30000	18	35400	1	35400
11	Automation/Lamination/Xerox	150000	18	177000	1	177000
12	Officer Revolving Chair	12000	18	14160	2	28320
13	Dead body Deep Freezer Single body	168000	18	198240	4	792960
14	Light used during postmortem (celling mount)	165000	18	194700	2	389400
15	Stretcher to transfer the dead body to the mortuary vehicle	44840	18	52911.2	2	105822.4
16	Suturing set with different type of needles with thread to stich a dead body	44840	18	52911.2	2	105822.4
17	Electric bone saw machine	169000	18	199420	5	997100
G. TOTAL						39,34,485/-
रुपये उन्तालीस लाख चैंतीस हजार चार सौ चैरासी रुपये अस्सी पैसे मात्र						

जनपद अयोध्या के 08 बाड़ी आधुनिक चीरघर

क्र0सं0	उपकरण का नाम	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य (रुपये में) जेम पोर्टल के अनुसार (ए)	जी0एस0टी0 दर प्रतिशत में (बी)	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य जी0एस0टी0 सहित (ए+बी)	अपेक्षित उपकरणों की संख्या (सी)	कुल धनराशि जी0एस0टी0 सहित (रुपये में) (ए+बी)Xसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	A.C. 1.5 ton Split with stabilizer	60000	18	70800	3	212400
2	A.C. of Mortuary (4.5 ton)	150000	18	177000	1	177000
3	Generator (10 kva) for morgue	178000	12	199360	1	199360
4	CCTV Camera (2 megapixel, 1TB DVRa 21 Days backup)	80000	18	94400	1	94400
5	Ordinary Video Camera	30000	18	35400	1	35400
6	Autopsy Table of SS with water dranger facility	150000	18	177000	2	354000
7	Enamel tray. Bucket etc. Instrument trolley & dissecting set consisting of Knives, Scissors, forceps, Allis of different Sizes, Autopay Saw, Brain Knife etc. Chiseel, Hammer, Scalpel, Needle, Threds & Needle Holder Gloves, Masks, Apron & Slippers	40000	18	47200	3	141600
8	Steel Almirah	15000	18	17700	3	53100
9	office table 6X 4	15000	18	17700	2	35400
10	Printer	30000	18	35400	1	35400
11	Automation/Lamination/Xerox	150000	18	177000	1	177000
12	Officer Revolving Chair	12000	18	14160	2	28320
13	Dead body Deep Freezer Single body	168000	18	198240	4	792960
14	Light used during postmortem (celling mount)	165000	18	194700	2	389400
15	Stretcher to transfer the dead body to the mortuary vehicle	44840	18	52911.2	2	105822.4
16	Suturing set with different type of needles with thread to stich a dead body	44840	18	52911.2	2	105822.4
17	Electric bone saw machine	169000	18	199420	5	997100
G. TOTAL						39,34,485/-
रुपये उन्तालीस लाख चैंतीस हजार चार सौ चैरासी रुपये अस्सी पैसे मात्र						

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 एवं उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट-मैनुअल शासनादेश संख्या-5/2016/253/18-2-2016-3 (एस0पी0)/2010, दिनांक 01.04.2016 में क्रय नियमों/ प्रक्रिया के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था एवं जेम पोर्टल पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं/निगमों के द्वारा जेम से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97 (ल030)/2016, दिनांक 23.08.2017 शासनादेश संख्या-7/2020/151/18-2-2020-63(ल030)/12, दिनांक 19.03.2020, शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल030)/201टी0सी0, दिनांक 25.08.2020, शासनादेश संख्या-17/2021/233/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0, दिनांक 31.05.2021, शासनादेश संख्या-42/2021/491/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0, दिनांक 26.10.2021, शासनादेश संख्या-23/ 2022/165/18-2-2022-97(ल030)/2016टी0सी0, दिनांक 29.06.2022 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 उद्योग विभाग के अद्यतन शासनादेशों के साथ-साथ क्रय सम्बन्धी प्रचलित समस्त शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।
4. चिकित्सा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2020/470/पांच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 12.03.2020 में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रूपया 2.00 लाख प्रति उपकरण से कम के उपकरण (संज-सज्जा एवं फर्नीचर को छोड़कर) का क्रय परिधिगत अधिकारियों द्वारा तथा रूपया 2.00 लाख से अधिक के उपकरण का क्रय उ0प्र0 मेडिकल स्प्लाइज कार्पोरेशन लि0 द्वारा अनिवार्यतः जेम पोर्टल से किया जायेगा।
5. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय टर्नकी आधार पर जेम बिड द्वारा ही सम्बन्धित चिकित्सालय के परिधिगत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। जेम पोर्टल से क्रय अनिवार्यता हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23.08.2017 के अन्तर्गत आवश्यकता को टुकड़े-टुकड़े में क्रय किया जाना अभियमितता की श्रेणी में माना गया है एवं जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की निर्धारित गाइड लाइन्स/रूल्स, सी0वी0सी0 एवं प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स, 2022 के गाइड लाइन्स में उल्लिखित समस्त प्रतिबंधों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन प्रत्येक क्रय में प्रामाणिकता के आधार पर सम्बन्धित क्रय अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 रखने के द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि को सम्बन्धित जनपद/चिकित्सालय के परिधिगत अधिकारियों को यथावश्यकतानुसार नियमानुसार हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. उपकरणों की स्थल पर आपूर्ति की जायेगी ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद उनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।
8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत किये जा रहे उपकरण मानक के अनुसार ही प्रस्तावित किये गये हैं। यदि मानक से इतर उपकरण/मशीन प्रस्तावित क्रय किये जाते हैं तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रयाधिकारी का होगा।
9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत नये उपकरणों/मशीनों के स्थान पर पूर्व से उपलब्ध पुराने उपकरणों/मशीनों को शासनादेश संख्या-12/2012/दस-2011-24(7)-95, दिनांक 25.11.2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य घोषित कर उनको निस्तारित किया गया है और प्रश्नगत पुराने उपकरण अपना औसत कालावधि पूर्ण कर चुके हैं। निष्प्रयोज्य उपकरणों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए।
11. प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध हैं।
12. उपकरणों हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।
13. विभाग द्वारा उपकरणों की आवश्यकता तथा मानक स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय किये जा रहे उपकरण प्रश्नगत चिकित्सालय के लिये आवश्यक एवं मानकानुसार हैं।
14. उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।
15. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

16. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों/कार्यों की पुनरावृत्ति न हो।
 17. उपकरणों की मद चूंकि मितव्ययिता की मद है, अतः इनके क्रय में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 18. उपकरणों की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रयाधिकारी का होगा।
 19. प्रश्नगत उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 20. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
 21. इस सम्बन्ध में लेखों का मिलान महालेखाकार, 30प्र0, प्रयागराज से करके इसकी सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
 22. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।
 23. उपरोक्त सन्दर्भित समस्त बिन्दुओं से इतर अन्य किसी राजकीय विभाग के शासनादेश जो क्रय नियमों से सम्बन्धित नहीं हैं, का निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त चिन्तित पूर्ण पाये जाने की स्थिति में शासकीय अनुमति के उपरान्त ही अपनाई गई प्रक्रिया नियमानुसार मान्य होगी।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,75,25,677 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख पच्चीस हजार छह सौ सतहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 4210011106400 चिन्ता/संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नाम डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/वी-1/52/2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कन्नौज, बस्ती, अमरोहा, सुल्तानपुर, बलिया, बुलन्दशहर एवं अयोध्या।
5. निदेशक (चिकित्सा उपकरण/पी0एच0सी0/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. सम्बन्धित अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज, बस्ती, अमरोहा, सुल्तानपुर, बलिया, बुलन्दशहर एवं अयोध्या।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।